

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी—अप्रैल, 1995 सत्र

कनिका कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 29 करवारी, 1995 (फाल्गुन 1, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रस्तोता

पृथकतः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार, भारत के नियंत्रक-महातेजा परीक्षक एवं प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1993 की समाप्त वर्ष का क्रमांक-3 (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ पटल पर रखेंगे :—

- (क) क्रमांक-1512-2253-बाईस-प.-2-94, दिनांक 16 सितम्बर, 1994.
- (ख) क्रमांक 2062-126-बाईस-प.-2-94, दिनांक 19 दिसम्बर, 1994.
- (ग) क्रमांक 2171-1183-बाईस-प.-2-94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994.
- (घ) क्रमांक शी-1-1-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (ड.) क्रमांक शी-1-2-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (च) क्रमांक शी-1-3-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (छ) क्रमांक शी-1-4-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (ज) क्रमांक शी-1-5-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (झ) क्रमांक शी-1-7-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (ज) क्रमांक शी-1-8-95-प.-2-बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995.
- (ट) क्रमांक शी-1-6-95-प.-2-बाईस, दिनांक 17 जनवरी, 1995.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य हलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे।

3. नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र के प्रस्तोता के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पठन पर रखा जाना

4. नियम 287-के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का सेकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विवेदणों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन व्यालाकरण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, बनवारी लाल अग्रवाल, निर्धारण सिंह पटेल, सदस्य, भोपाल कृषि उपज मण्डी के आधिपत्य की भूमि पर अवैध कर्तव्य कर निर्माण कार्य किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, बच्चन नाथक, कंकर मुजारे, सदस्य, इन्हीं नगर निगम की बैठक में मारपीट की घटित घटना की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. राज्यपाल द्वारा की घोषणा

8. राज्यपाल के अधिभावन पर श्री रविन्द्र शीवे, सदस्य द्वारा दिनांक 16 करवारी, 1995 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

“राज्यपाल ने जो अधिभावन दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यागण अस्वान्त कृतज्ञ हैं।”